



राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी

सत्र 20..... - 20.....

अण्डरटेकिंग-फॉर्म

संकाय - बीए/बीकॉम/बीएसी/..... कक्षा- I/ II/ III.....

विषय :- 1. 2. 3.

विद्यार्थी का नाम जेण्डर-मेल/फिमेल..... जन्म-तिथि.....

पिता का नाम व्यवसाय..... वार्षिक-आय.....

वर्ग-सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/एसबीसी/अल्पसंख्यक..... जाति.....

विद्यार्थी का वर्तमान पता

..... मोबाईल नं.

पूर्व में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम गत वर्ष परीक्षा के रोल नं.

गत वर्ष परीक्षा परिणाम-उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/ड्यू गत वर्ष परीक्षा के प्राप्तांक गत वर्ष परीक्षा के प्रतिशत %

डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नं. दिनांक-..... राशि रुपये..... (अंको में).....

..... (शब्दों में)..... (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जारीकर्ता बैंक का नाम)

प्रवेश प्रभारी के हस्ताक्षर

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी के पिता/माता/पति/संरक्षक द्वारा आय घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि श्री..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी वास्तविक आय अंको में रु. (शब्दों में)..... है। मैं आयकर नहीं देता/देती हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

पिता/माता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर

● आवश्यक दिशा-निर्देश

- सत्र 2016-17 में स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को पुनः आवेदन फार्म भरने की आवश्यकता है। सत्र 2016-17 में गत सत्र के नियमित विद्यार्थी उपरोक्त प्रपत्र के साथ दिनांक 31 जुलाई 2016 तक सत्र का शुल्क महाविद्यालय में डी.डी./बैंकर चैक से प्रवेश प्रभारी के पास/कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है तो अन्य पात्रता एवं प्रवेश नीति 2016-17 शर्तों पूर्ण होने की स्थिति में प्रवेशित माना जाएगा।
- अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यदि पुनर्मुल्यांकन हेतु आवेदन करता है, तो उसे भी दिनांक 31 जुलाई 2016 तक डी.डी./बैंकर्स चैक जमा करवाना तो ही उत्तीर्ण होने पर उसे प्रवेश नीति 2016-17 के पंचम भाग के नियम सं. 5.3.2 के तहत प्रवेश दिया जायेगा।
- फीस सम्बंधित दिशा निर्देश -
 - विद्यार्थी अपना डी.डी./बैंकर्स चैक सोजत सिटी की राष्ट्रीयकृत बैंक (SBBJ/ SBI / PNB/ BOB) से बनाने होंगे।
 - विद्यार्थी अपनी डी.डी./बैंकर्स चैक बनाने से पूर्व कार्यालय से अपने से संबंधित वर्ग व कक्षा की फीस ज्ञात करने के पश्चात डी.डी. बनावे अन्यथा विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
 - विद्यार्थी डी.डी./बैंकर्स चैक :- **CHAIRMAN & SECRETARY GOVT. COLLEGE VIKASH SAMITI SOJAT CITY** (अध्यक्ष व सचिव राजकीय महाविद्यालय विकास समिति सोजत सिटी) के नाम का ही मान्य होगा।
- निम्नलिखित स्थितियों में यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो -
 - निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करवाते हैं।
 - पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 - स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दे या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लेकर चले जावें।
 - प्रवेश नीति के चतुर्थ भाग में उल्लेखित अच्छे आचरण की शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।
 - उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

● विद्यार्थी प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की फोटो प्रति को आवश्यक रूप से स्वयं प्रमाणित कर जमा करावें।

- डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति- उसके पीछे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा व सम्पर्क नम्बर स्पष्ट शब्दों में लिखें
- डी.डी./बैंकर चैक की फोटोप्रति - 2 (एक फोटो प्रति पर प्राप्ति रसीद के रूप में लेवे)
- गत वर्षों के कक्षाओं की अंकतालिकाएं व प्रवेश पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि।
- जाति प्रमाण पत्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी.) की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि।